भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4593

(23 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा का कार्यान्वयन

4593. श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
श्री संजय सदाशिव राव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश में कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत किए गए कार्यों का मूल्यांकन कराया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा तथा परिणाम क्या है;
(ग) क्या सरकार ने मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में वृद्धि के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु राज्यों को कोई अतिरिक्त सहायता जारी की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ड़) क्या सरकार ने जीआईएस आधारित योजना, सामाजिक ऑडिट के सुदृढ़ीकरण, लोकपाल की भर्ती, संपत्तियों की जियो टैगिंग और कार्यों की निगरानी पर बल दिया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसमें अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष

में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 18.03.2021 की स्थिति के अनुसार 369 करोड़ से अधिक श्रम दिवस सृजित किए जा चुके हैं जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसी अवधि के दौरान सृजित रोजगार से लगभग 40 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक 1.77 करोड़ से अधिक नए जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जारी किए गए नए जॉब कार्डों की कुल संख्या से 154 प्रतिशत अधिक है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक 10.98 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रोजगार उपलब्ध कराए गए लोगों की संख्या से 39 प्रतिशत अधिक है। ये सभी इस तथ्य के संकेत हैं कि पूरे देश में कोविड-19 महामारी से पैदा हुए संकट के चलते मनरेगा के अंतर्गत अधिक से अधिक कामगारों को रोजगार मिला है।

पूरे किए गए और चल रहे कार्य के साथ-साथ किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ): सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्तीय आवंटन को बजट अनुमान स्तर पर 61,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर संशोधित अनुमान स्तर पर 1,11,500 करोड़ रुपए कर दिया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 99,001 करोड़ रुपए (18.03.2021 की स्थिति के अनुसार) जारी किए जा चुके हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केन्द्रीय सरकार योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार काम की मांग को ध्यान में रखते हुए निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान (18.03.2021 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत निधियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रिलीज **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ड़) और (च): महात्मा गांधी नरेगा योजना का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की जिम्मेदारी है। मध्यावधि समीक्षा, श्रम बजट की बैठकें, श्रम बजट की समीक्षा बैठकों तथा अन्य समीक्षा बैठकों जैसी विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान सरकार ने जीआईएस आधारित आयोजना बनाने, सामाजिक लेखा परीक्षा को व्यापक बनाने, सभी जिलों में लोकपाल की नियुक्ति करने, परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग तथा कार्यों की निगरानी करने पर जोर दिया है।

मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) दृष्टिकोण का उपयोग करके वाटरशेड विकास पर आधारित ग्राम पंचायतों की एकीकृत व्यापक आयोजना शुरू की है। सरकार ने सभी ग्राम

पंचायतों को जीआईएस योजना से सेचुरेट करने का निर्णय लिया है। अब तक 43,592 ग्राम पंचायतों के लिए जीआईएस योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं।

केंद्रीय सरकार ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के परामर्श से सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखा परीक्षा नियमावली 2011 तथा सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा मानकों को अधिसूचित कर दिया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों के काम-काज के लिए तथा सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार सामाजिक लेखा परीक्षा कराने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा मानकों को अपनाएं।

मंत्रालय ने महात्मा गांधी योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग करने के लिए जियो-मनरेगा चरण-I और चरण-II शुरू किया। अब तक 4.33 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों को जियो-टैग किया जा चुका है और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा दिया गया है।

******

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 23.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4593 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2020-21 (19.03.2021 की स्थिति के अनुसार) में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पूरे हो चुके और चल रहे कार्यों की संख्या			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**पूरे हो चुके कार्यों की संख्या**	**चल रहे कार्यों की संख्या**
1	अण्डमान और निकोबार	228	1,172
2	आंध्र प्रदेश	7,63,123	7,53,858
3	अरुणाचल प्रदेश	972	6,395
4	असम	1,20,219	3,07,739
5	बिहार	9,26,471	20,92,830
6	छत्तीसगढ	2,22,974	3,22,431
7	दादरा और नगर हवेली	0	2
8	दमण और दीव	0	0
9	गोवा	89	645
10	गुजरात	1,39,922	1,58,101
11	हरियाणा	13,076	35,651
12	हिमाचल प्रदेश	58,790	1,36,428
13	जम्मू और कश्मीर	44,803	2,71,164
14	झारखंड	4,63,269	9,61,915
15	कर्नाटक	3,46,979	14,39,942
16	केरल	1,53,912	3,97,594
17	लद्दाख	246	9,109
18	लक्षद्वीप	0	176
19	मध्य प्रदेश	6,81,642	7,54,661
20	महाराष्ट्र	2,42,055	6,07,675
21	मणिपुर	8,461	20,247
22	मेघालय	14,282	53,923
23	मिजोरम	23,237	2,279
24	नागालैंड	1,268	6,795
25	ओडिशा	3,58,923	9,78,434
26	पुदुचेरी	724	198
27	पंजाब	26,748	1,40,044
28	राजस्थान	3,55,443	8,47,738
29	सिक्किम	4,588	9,446
30	तमिलनाडु	4,00,189	5,04,424
31	तेलंगाना	6,42,803	8,24,498
32	त्रिपुरा	61,529	63,721
33	उत्तर प्रदेश	4,79,598	22,56,905
34	उत्तराखंड	54,005	1,15,579
35	पश्चिम बंगाल	12,80,350	20,92,913
	कुल	**78,90,918**	**1,61,74,632**

अनुबंध-II

लोकसभा में दिनांक 23.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4593 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध

(रूपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जारी की गई राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार केंद्रीय निधियां		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2020-21 (18.03.2021की स्थिति के अनुसार)**
1	अण्डमान और निकोबार	4.86
2	आंध्र प्रदेश	8412.52
3	अरुणाचल प्रदेश	291.03
4	असम	2246.98
5	बिहार	5872.08
6	छत्तीसगढ	3259.08
7	दादरा और नागर हवेली	0.00
8	दमण और दीव	0.00
9	गोवा	0.91
10	गुजरात	1431.96
11	हरियाणा	744.52
12	हिमाचल प्रदेश	936.92
13	जम्मू और कश्मीर	991.70
14	झारखंड	2978.07
15	कर्नाटक	5402.29
16	केरल	3867.19
17	लद्दाख	0.00
18	लक्षद्वीप	0.00
19	मध्य प्रदेश	8510.37
20	महाराष्ट्र	1550.53
21	मणिपुर	821.23
22	मेघालय	1217.38
23	मिजोरम	594.98
24	नागालैंड	483.82
25	ओडिशा	5099.38
26	पुदुचेरी	27.08
27	पंजाब	1214.75
28	राजस्थान	7916.33
29	सिक्किम	98.04
30	तमिलनाडु	8280.88
31	तेलंगाना	3748.30
32	त्रिपुरा	1164.23
33	उत्तर प्रदेश	10813.23
34	उत्तराखंड	858.68
35	पश्चिम बंगाल	10162.24
	कुल	**99001.54**